अति–आवश्यक

राजस्थान–सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राजस्थान,जयपुर ।

क्रमांक :– राजप / डीपीसी / एसीआर / परिपत्र / 2011 / 454 दिनांकः– 24.5.11

समस्त संयुक्त निदेशक, जोन
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ।

विषयः– समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत करने बाबत ।

–000–

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्मिक (क–1 / गो0प्र0)विभाग के परिपत्र क्रमांक प013(76)का. / क–1 / गो.प्र. / 2011 दिनांक 14–04–2011 द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों से अचल सम्पति विवरण पत्र प्राप्त कर सार्वजनिक किये जाने हेतु दिनांक 30–04–2011 तक चाहा गया , किन्तु बार–बार निर्देशित करने के उपरान्त भी आपके अधिनस्थ राजपत्रित अधिकारियों की अचल सम्पति विवरण पत्र की वांछित सूचना प्राप्त होना अपेक्षित है ।

कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 14.04.11 द्वारा राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण प्रपत्र उपर्युक्त समय सीमा में प्रस्तुत नहीं की जाने पर उनकी **विजीलेन्स क्लीरेन्स नही दी जायेगी एवं पदोन्नति का परिलाभ भी नही दिया जावेगा** स्पष्ट रूप से उल्लेखित है।कार्मिक विभाग ने पुनः पत्र क्रमांक प013(76)का. / क–1 / गो0प्र0 / 2011 दिनांक 13–05–2011 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 17–05–2011 द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारियों को दिनांक 25–05–2011 तक आवश्यक रूप से अपनी अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करने एवं **अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही उन्हें आगामी वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाने** हेतु निर्देशित किया है ।

अतः उक्त संबंध में विभाग में कार्यरत सभी राजपत्रित अधिकारियों से कार्मिक विभाग द्वारा वांछित अचल सम्पति विवरण प्रपत्र भरवाकर सीधे ही उप शासन सचिव,कार्मिक (क–1 / गो0प्र0) विभाग, शासन सचिवालय, राज0 जयपुर को दिनांक **25–05–2011** तक आवश्यक रूप से भिजवाकर इस निदेशालय को भी सूची से अवगत करावे ।

~~संलग्न :– उपरोक्तानुसार~~
संलग्न – उपरोक्तानुसार

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थांन,जयपुर ।

कृ0पृ0उ0–2–

क्रमांक :– राजप / डीपीसी / एसीआर / परिपत्र / 2011 / 555 दिनांकः– 2·5·5

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–1 / गो0प्र0)विभाग,राज0जयपुर को सूचनार्थ ।
2. निदेशक, आई0ई0सी0,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय ।
3. निदेशक (प0क0) / एड्स / ई0एस0आई0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0जयपुर।
4. परियोजना निदेशक, राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट,राज0जयपुर ।
5. समस्त प्रधानाचार्य,मेडीकल कॉलेज एवं नियंत्रक, सम्बद्व चिकित्सालय समूह ।
6. औषधि नियंत्रक (प्रथम एवं द्वितीय)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय,राज0जयपुर ।
7. निदेशक भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई,राजस्थान, जयपुर ।
8. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय ।
9. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, राजस्थान ।
10. प्राधानाचार्य, रा0 प0 क0 प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर / अजमेर ।
11. मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर ।
12. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान ।
13. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभाग की बेबसाईट पर अपलोड किये जाने व समस्त संबंधित को ई–मेल किये जाने हेतु ।
14. आदेश / रक्षित पत्रावली ।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान,जयपुर ।

DS-II/DS-III/Addl. Dir-(Admn)
Dir PH/HA/IEC/RCH/ESI

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग

क्रमांक प. 13(76)का./क–1/गो.प्र./2011 जयपुर, दिनांक 17-5-11

18 MAY 2011

परिपत्र

कार्यालय प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प. क. विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
19 MAY 2011
5062
जावक क्रमांक

विषयः– समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत करने बाबत ।

इस विभाग के परिपत्र कमांक प. 13(76)का./क–1/गो.प्र./11 दिनांक 14.04.2011 के द्वारा "राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों की अचल सम्पति का विवरण 1.1.2011 व उसके पश्चातवर्ती वर्षों की अचल सम्पति का विवरण सार्वजनिक किए जाने का निर्णय लिया गया है । जो अधिकारी उक्त सूचना प्रस्तुत नहीं करेंगे उनकी विजीलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जावेगी एवं पदोन्नति पर विचार नहीं किया जावेगा" ।

NO/PA/Dir. 3832
19 MAY 2011
D.M. & H.S.

इसी परिप्रेक्ष्य में समस्त अधिकारियों द्वारा अचल सम्पति का विवरण सार्वजनिक किये जाने को सुनिश्चित किये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे अधिकारी जिनकी कोई पदोन्नति शेष नहीं है, सेवाकाल बाकी है तथा इन या अन्य कारणों से अचल सम्पति का विवरण प्रस्तुत नहीं करते है तो उन्हें आगामी वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ देय नहीं होगा । साथ ही ऐसी अचल सम्पति का वर्तमान मूल्य उस अवधि में प्रचलित डी.एल.सी दर के आधार पर संगणित किया जाए ।

Addl(H)
20/5/11
DPC

राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही उन्हें आगामी वेतनवृद्वि स्वीकृत की जावें ।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीन कार्यरत समस्त राज्य सेवा अधिकारियों एवं अधिनस्थ सेवाओं के समस्त राजपत्रित अधिकारियों तथा निगम, बोर्ड, स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं राजकीय उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियो को दिनांक 25.5.2011 तक आवश्यक रूप से अपनी अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ।

प्रमुख शासन सचिव

MD(NRHM)/PD(RHSDP)
DS-II / DS-III / Addl. Dir(Adm.) 2386/PDP
Dir PH/HA/IEC/RCH/ES
23/5

स्मरण पत्र

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग,

18 MAY 2011

क्रमांक प. 13(76)का./क–1/गो.प्र./2011 जयपुर, दिनांक 13 MAY 20

कार्यालय प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प. क. विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
19 MAY 2011
506

समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव / उप शासन सचिव,
3836 समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)

विषयः– समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत करने बाबत ।

Addl(S)
20/5/11
DPC

महोदय,

मैं आपका ध्यान इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13(76)कार्मिक/क–1/गो.प्र./2011 दिनांक 14.04.2011 की ओर आकर्षित करना चाहूगां जिसके द्वारा राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों की वर्ष 2010 के लिए (1.1.2011 की स्थिति में) अपनी अचल सम्पति विवरण संलग्न निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 30.4.2011 तक आवश्यक रूप से निम्नानुसार प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था:–

1. राज्य सेवा अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण उप शासन सचिव, कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रस्तुत किया जावें ।
2. अधिनस्थ सेवाओं के सभी राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण अपने सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को प्रस्तुत किया जावें ।
3. निगम, बोर्ड, स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं सभी राजकीय उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों (जिनकी ग्रेड पे 4200 रूपये या अधिक है) द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण अपने निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जावें ।

परन्तु अत्यन्त खेद का विषय है कि अधिकांश राज्य सेवा अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीन कार्यरत समस्त राज्य सेवा अधिकारियों एवं अधिनस्थ सेवाओं के समस्त राजपत्रित अधिकारियों तथा निगम, बोर्ड, स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं राजकीय उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियो को दिनांक 25.5.2011 तक आवश्यक रूप से अपनी अचल सम्पति विवरण उपरोक्तानुसार प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार ।

प्रमुख शासन सचिव